न्यायालयः जिला न्यायाधीश, शिवहर।
प्रोबेट वाद संख्या–14/2012.

8.5.02/2016

सीमा देवी व अन्य.....आवेदक।

बनाम्

हरिनाथ सिंह व अन्य.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री कृष्ण नंदन सिंह।
विपक्षी सख्या–01. की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री मनेन्द्र कुमार।
अन्य विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री ज्ञान कुमार।

उपस्थितः उदयवंत कुमार
जिला न्यायाधीश,
शिवहर।
01.05.2024

आदेश

दिनांकः–01.05.2024

आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन दिनांक 13.03.2024 अन्दर आदेश 07 नियम 14 (3) एवं अन्दर आदेश 151 सी.पी.सी. में निवेदन किये हैं कि केवाला दस्तावेज दिनांक 16.11.1992 नविस्ते शम्भु सिंह वो श्रीमती लखराय देवी बनाम् प्रेमचन्द्र राय का बजाप्ता नकल दिनांक 23.01.2024 को प्राप्त हुआ, जिसे न्यायालय में दाखिल किया गया है तथा पंचनामा दिनांक 07.01.2005 की मुल प्रति जिसे दिनांक 30.01.2024 को न्यायालय में दाखिल किया गया है जिसे साक्ष्य में लेना अति आवश्यक है, क्योंकि उक्त पंचनामा द्वारा बँटवारा हुआ है तथा लखराय देवी के हिस्सा में जमीन मिला।

आवेदक का आगे कथन है कि कागजात को साक्ष्य में लेकर प्रदर्श अंकित कराने हेतु एक आवेदन दिनांक 30.01.2024 को दाखिल किया गया था जो दिनांक 21.02.2024 को गुण–दोष के आधार पर खारिज न होकर आवेदन विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत दाखिल किया गया है, अंकित नहीं होने के कारण खारिज हो गया। अतः उक्त कागजात को साक्ष्य में लेकर प्रदर्श अंकित करने की अनुमति दिया जाए।

विपक्षी संख्या–01. द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है।

विपक्षी संख्या–02, 04, 05 एवं 06 की ओर से उक्त आवेदन के प्रतिउत्तर में कथन किया गया है कि पूर्व में दाखिल आवेदन इसी आशय का दिनांक 31.01.2024 को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 21.02.2024 को खारिज किया गया है। आवेदकगण द्वारा दाखिल केवाला दस्तावेज 16.11.1992 का वाद से कोई सरोकार नहीं है। केवाला दस्तावेज तथा मूल पंचनामा काफी विलम्ब से लाया गया है। वाद भारतीय उत्तराधिकार कानून की धारा–278 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें मात्र वसीयतनामा के प्रमाणिकता (Genuinene) पर ही विचार करना है, अतः पोषणीय नहीं है, खारिज होने योग्य है।

अभिलेख का अवलोकन किया।

न्यायहित में आवेदक द्वारा लाये गये दस्तावेज दिनांक 16.11.1992 की बजाप्ता नकल तथा मूल पंचनामा दिनांक 07.01.2005 की वाद में प्रासंगिकता प्रतीत होता है तथा विपक्षी द्वारा इस कथन का कोई आधार नहीं है कि भारतीय उत्तराधिकार कानून की धारा–278 के अंतर्गत व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्य प्रावधानों का प्रयोग नहीं हो सकता है। केवल वसीयतनामा के प्रमाणिकता पर ही विचार करना है।

आवेदक द्वारा लाये गये उक्त दस्तावेज तथा पंचनामा द्वितियक साक्ष्य के रूप में है, जिन्हें साबित कराने का उत्तरदायित्व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–64 के अंतर्गत आवेदक पर है।

अतः न्यायहित में आवेदन दिनांक 13.03.2024, जिसमें केवाला दस्तावेज दिनांक 16.11.1992 की सत्यापित प्रति एवं मूल पंचनामा को साक्ष्य के रूप में लिए जाने की अनुमति दी जाती है। आवेदक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधि अनुसार प्रदर्श करावे।

लेखापित एवं शुद्विकृत

जिला न्यायाधीश,
शिवहर।
01.05.2024.